न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2019

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

बनाम

1. लिछमण पुत्र रखाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. सरोज पत्नि मोहरसिह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. कृष्णादेवी 4 श्योपति 5 सुनिता पुत्रीयान लिछमण जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12/2/19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 148/141 के खसरा न09 92 की 2.3400हैक , खसरा न0 93 की 4.3380हैक , खसरा न0 94 की 6.3740हैक , खसरा न0 96 की 5.2610हैक खसरा न0 154 की 10.4710हैक , खसरा न0 155 की 5.6280हैक , खसरा न0 156 की 3.4780हैक , खसरा न0 157 की 2.7570हैक खसरा न0 219 की 8.9030हैक खसरा न0 221 की 2.4910हैक खसरा न0 222 की 0.506हैक खसरा न0 223 की 2.9590हैक , खसरा न0 228/2 की 4.7930हैक , खसरा न0 2134 की 4.7290हैक , खसरा न0 248 की 4.0470हैक कुल 69.0750हैक भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा रखाराम के नाम 641–1/2 हिस्सा भूमि है।

वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रगणों पर औद हुई और प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 148/141 की कुल 69.0750हैक में से सयुक्त तोर से 641–1/2 हिस्सा एवं रोही मोजा सांगठिया के खाता संख्या 157/139 की कुल 9.2449हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 56/138 की कुल 0.9610हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा भूमि आई है। विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा 3 ता 5 जो वादी की बहनें है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक खसरा न0 96 की 5.2610 हैक खसरा न0 154 की 10.4710 हैक भूमि

पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कियां राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतसधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता56 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 148/141 की कुल 69.0750हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 641–1/2 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के एवं रोही मोजा सांगठिया के खाता संख्या 57/139 की कुल 9.2440हैक भूमि रएवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 56/138 की कुल 0.9610हैक भूमि यानि दोनो खातेजात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/2/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official